

कार्यालय – अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(संशोधन)/ /17, दिनांक फरवरी 03, 2017,

—:: आदेश ::—

कार्यालय मुन्सरिम, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ के पत्र सं0 32 दिनांक 03-02-2017, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य पीठ-2, लखनऊ को हाथ के आपरेशन के फलस्वरूप डाक्टर द्वारा उन्हें 15 दिन के विश्राम की सलाह दी गयी है, के आधार पर सदस्य पीठ-2, लखनऊ को दिनांक 06-2-2017 से 10-2-2017 तक गठित खण्डपीठ से मुक्त किया जाता है। तदनुसार मुख्यालय के आदेश सं0 2807 दिनांक 27-12-2016 में आंशिक संशोधन करते हुए सदस्य पीठ-2 लखनऊ के स्थान पर सदस्य पीठ-4, कानपुर को उक्त खण्डपीठ के लिए नामित किया जाता है।

युगलपीठ गठन की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारी को तदनुसार सूचित किया जाये।

3-2-17

(उमेश चन्द्र त्रिपाठी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(संशोधन)/178 /2017, तददिनांकित,  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ बरेली।/कानपुर पीठ-4,
- 3- राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ) पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
6. वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 7- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,



प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।